न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :- 206/2016
GCMS NO. 2016/00496

1. फूला देवी पत्नी श्री औंकारमल (फौत)
2. रामेश्वर पुत्र औंकारमल
3. सन्तलाल पुत्र औंकारमल
4. बुद्धराम पुत्र औंकारमल
5. लीलाधर पुत्र औंकारमल (फौत)
6. बिमला पुत्री श्री औंकारमल
7. महावीर पुत्र सुखाराम
8. गिरधारी पुत्र सुखाराम
9. सांवलराम पुत्र सुखाराम

समस्त जाति गूर्जर निवासी गूर्जरवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................वादीगण

– ब ना म –

1. रमली देवी पत्नी श्री भागीरथ जाति गूर्जर निवासी गूर्जरवास
2. मातादीन पुत्र श्री भागीरथ जाति गूर्जर निवासी गूर्जरवास
3. रोताश पुत्र श्री भागीरथ जाति गूर्जर निवासी गूर्जरवास
4. श्रीमती केशरी देवी पुत्री श्री भागीरथ पत्नी श्री मानसिंह जाति गूर्जर निवासी डूमोली कलां पोस्ट डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. श्रीमती सन्तोष देवी पुत्री भागीरथ पत्नी श्री रामावतार जाति गूर्जर निवासी भोदन पोस्ट मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. अलुराम पुत्र कमली देवी एवं सन्तूराम (फौत)
   - 6/1. सुमन देवी पत्नी नरेश
   - 6/2. तमना पुत्री नरेश उम्र 6 वर्ष 6 माह
   - 6/3. अंकिता पुत्री नरेश उम्र 4 वर्ष 6 माह
   - 6/4. निकुन्द पुत्री नरेश उम्र 2 वर्ष

   समस्त जाति गूर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. छोटेलाल पुत्र कमली देवी एवं सन्तूराम निवासी भोदन पोस्ट मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
8. तहसीलदार लैण्ड होल्डर बुहाना ज़िला झुंझुनूं (राज0)

..................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:24 IST
Reason: SelfAttested

दावा – घोषणात्मक [illegible] अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- अभिभाषक वादीगण

1. श्री राजेश यादव

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

-: निर्णय :-

दिनांक :- 17.04.2025

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादीगण की ओर से दिनांक 13.07.2015 को इस आशय का पेश किया गया है कि :-

1. यह कि ग्राम जयसिंहपुरा गुर्जरवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 27, 25, 26 कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज राजकीय भूमि थी। इस भूमि में से वादीगण के हकपूर्वाधिकारी सुखा पुत्र चीमा को दिनांक 05.11.1976 को गत खसरा नम्बर 26 में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि, गत खसरा नम्बर 27 में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि, गत खसरा नम्बर 25 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि कुल 6 बीघा भूमि कस्टोडियन विभाग को विक्रय मूल्य जरिये चालान भुगतान करने पर इसका पट्टा दिनांक 05.11.1976 को दिया गया था तभी से वादीगण का हकपूर्वाधिकारी सुखाराम काबिज रहा एवं अब वादीगण काबिज है। बन्दोबस्त विभाग ने इस भूमि के हाल खसरा नम्बर 457 रकबा 1.85 हेक्टेयर बनाये है।
2. यह कि सुखा पुत्र चीमा की वंशावली इस प्रकार है :-

सुखाराम (फौत)

औंकारमल (पुत्र) (फौत)	महावीर (पुत्र) वादी नम्बर 7	गिरधारी (पुत्र) वादी नम्बर 8	सांवलराम (पुत्र) वादी नम्बर 9
1. फूला देवी पत्नी वादी नम्बर 1 2. रामेश्वर पुत्र वादी नम्बर 2 3. सन्तलाल पुत्र वादी नम्बर 3 4. बुधराम पुत्र वादी नम्बर 4 5. लीलाराम पुत्र वादी नम्बर 5 6. बिमला पुत्री वादी नम्बर 6			

इस प्रकार वादीगण सुखा के वारीसान हैं एवं वाद वर्णित भूमि पर बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक काबिज है।

3. यह कि सुखा पुत्र चीमा व माला पुत्र चुना के नाम से गत खसरा नम्बर 39 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ था जिसका नामान्तरकरण संख्या 219 उनके नाम दर्ज हुआ माला पुत्र चुना प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का हक पूर्वाधिकारी था जिसका भूमि गत खसरा नम्बर 25 व 26 एवं 27 की वादीगण के हकपूर्वाधिकारी सुखा को पट्टा प्राप्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं हैं।
4. यह कि भूमि गत खसरा नम्बर 26 की 1 बीघा 8 बिस्वा, गत खसरा नम्बर 27 की 2 बीघा 2 बिस्वा, भूमि गत खसरा नम्बर 25 की 2 बीघा 10 बिस्वा वादीगण की हैं लेकिन जब बन्दोबस्त हुआ तो इस भूमि के हाल खसरा नम्बर 457 रकबा 1.85 हैंक्टयर रकबा कायम किये गये हैं। तथा जब इस भूमि के हाल खसरा नम्बर 457 रकबा 1.85 हैंक्टयर कायम किये तो इसके 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हकपूर्वाधिकारी भागीरथ पुत्र रामसुख के नाम कर दिया गया जबकि भागीरथ का ना कभी कब्जा था ना कभी उसके नाम था उसके किसी हकपूर्वाधिकारी के नाम खातेदारी नहीं थी। उसका नाम बन्दोबस्त विभाग एवं राजस्व कर्मचारीयो ने गलत रुप से दर्ज कर दिया हैं। भागीरथ की मृत्यु हो चुकी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 उसके वारीस हैं।
5. यह कि वाद वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 457 रकबा 1.85 हैंक्टयर मे वादी संख्या 1 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा हैं व वादी संख्या 7 लगायत 9 का 3/4 हिस्सा हैं जिस पर वे काबिज हैं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का इस भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार

(राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:24 IST
Reason: SelfAttested

नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हक पूर्वाधिकारी भागीरथ का नाम इस भूमि की खातेदारी मे गलत दर्ज हैं। वादीगण इस भूमि के खातेदार हैं इसलिये अपने अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व इनके हक पूर्वाधिकारी का नाम इस भूमि से हजफ करवाकर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाकर रिकार्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी हैं।

6. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हक पूर्वाधिकारी का नाम इस भूमि की खातेदारी में गलत दर्ज हैं जिससे वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

7. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि वादीगण की होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हक पूर्वाधिकारी का इसमे 1/2 हिस्सा में नाम दर्ज होने से पैदा हुआ हैं। अतः दावा अन्दर मियाद है।

8. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम जयसिंहपुरा, गुर्जवास मे होने से जो न्यायालय श्रीमानजी के हदूद मे हैं इसलिए यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

9. यह कि दावा घोषणात्मक के लिये 1 रुपये स्थाई निषेधाज्ञा के लिये 1 रुपये एवं रिकार्ड दुरुस्ती के लिये 1 रुपये कोर्ट फीस नियत है। अतः दावा कुल 3 रुपये कोर्ट फीस पर सेवामे पेश है।

10. यह कि प्रतिवादी संख्या 8 लैण्ड होल्डर होने से उसे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

11. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेट रिकार्ड पेश किया गया है एवं इसके बाद वादीगण ने इसको रहन बेचान नहीं किया नही तथा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश हैं।

12. अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :-

(क) वाके ग्राम गुर्जरवास तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 1.85 हेक्टेयर में वादी संख्या 1 लगायत 6 को 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 7 लगायत 9 को 3/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एवं इनके हक पूर्वाधिकारी भागीरथ का नाम इस भूमि से हजफ कर वादीगण का नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने की कृपा करे।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम गुर्जरवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 1.85 हेक्टेयर के किसी भी भाग को रहन बेचान, गिरवी या हस्तानान्तरित नही करे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नही करें इस भूमि को अपने नाम रिकार्ड मे दर्ज नही करवाये एवं ऐसा कृत्य ना स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करवाये।

(ग) वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से आयाचित रह गया हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:36:24 IST
Reason: SelfAttested

13. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तामिल जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से ... रोहित पोषवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 की फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 6/1 से 6/4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा पेश नहीं होने पर इनका जवाब दावा अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 व 7 की ओर से इस आशय का जवाब दावा पेश हुआ कि :–

14. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 1 जिस भांति दर्ज है। अस्वीकार है। उतरदातागण अपने हकपूर्वाधिकारीगण के समय से ही इस वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर कदीम से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत रूप से वाद पत्र के इस खण्ड में पेश किये है जो अस्वीकार है। वाद वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर कभी भी वादीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व.सुखाराम का कब्जा नहीं रहा है। कस्टोडियन विभाग में उतरदातागण के हकपूर्वाधिकारी रामसुख उर्फ सुखा वाद वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से के विक्रय मूल्य का भुगतान किया था। वादीगण गूजरवास के मूल निवासी नहीं है। वादीगण का हितबद्ध अधिकारी ग्राम रोजड़ा तहसील खेतड़ी से आकर एवं रिश्तेदारी में बसा था। जबकि उतरदातागण के हकपूर्वाधिकारीगण कदीम से ही ग्राम गुजरवास के स्थाई निवासी है तथा इस भूमि पर सदैव काबिज काश्त रहे है। इस वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी सुखा पुत्र भीमा को दिया था अब उसके वारिसान के मन में बेईमानी आ गई है। इसलिए वह प्रश्नगत समस्त भूमि को अपनी बताकर हल्का पटवारी से साठ गाठ कर हड़पना चाहते है।

15. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 2 जवाबदातागण से संबंधित नहीं होने से उतर की आवश्यकता नहीं है।

16. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। माला पुत्र चुना कभी भी जवाबदातागण का हकपूर्वाधिकारी नहीं रहा है। वादीगण ने वाद पत्र के खण्ड में समस्त बनावटी, बेबुनियादी तथ्य अंकित किये है। उक्तानुसार जवाब दावा के खण्ड संख्या 1 में दर्ज किया जा चुका है। जवाबदाता इस प्रश्नगत भूमि के 1/2 हिस्से पर कदीम से काबिज काश्त है तथा अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर सदैव अपने हकपूर्वाधिकारी स्व. रामसुख उर्फ सुखा के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। दावा के इस खण्ड में दर्ज समस्त अभिकथन गलत होने से अस्वीकार है।

17. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण ने इस खण्ड में समस्त झुठे कथन किये है जो अस्वीकार है। वाद वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से पर सदैव से ही जवाबदातागण के हकपूर्वाधिकारी स्व. रामसुख कब्जा काश्त रहा है तथा कब्जा के आधार पर राजस्व अधिकारियों ने पूर्ण जांच करके जवाबदातागण के हकपूर्वाधिकारीगण स्व. भागीरथ पुत्र स्व. रामसुख जाति गूर्जर निवासी गुजरवास के नाम से इन्तकाल दर्ज किया है तथा उसके बाद जवाबदातागण का नाम सही दर्ज किया है ताउम्र स्व. भागीरथ इस भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त रहा है शेषांश कतई गलत होने से अस्वीकार है।

18. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का प्रश्नगत भूमि में केवल 1/2 हिस्सा ही है। शेष 1/2 हिस्सा जवाबदातागण का है। वाद वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से पर जवाबदातागण कदीम से अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है। हल्का पटवारी से साठ गांठ कर गलत रिपोर्ट जवाबदातागण को बिना सूचना दिये गुपचुप तरीके से कही अज्ञात स्थान पर फ[illegible]फा रिपोर्ट बनवा कर उसको आधार बना कर जवाबदातागण को [illegible] अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। जवाबदाता उक्त गलत रिपोर्ट की पुनः [illegible] पटवारी से रिपोर्ट मौका मंगवाई जावे। इस प्रकार आधारहीन दावा से जवाबदातागण की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:24 IST
Reason: SelfAttested

19. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। उक्तानुसार जवाबदातागण का वाद वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से पर कदीम से कब्जा काश्त चला

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आ रहा है। इसलिए सही होने से इस भूमि के रिकार्ड ऑफ राईटस में जवाबदातागण का नाम दर्ज है। इसलिए ऐसी स्थिति में वादीगण को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं है परन्तु वादीगण के द्वारा श्रीमान् जी के समक्ष पेश इस निराधार दावा के आधार पर जवाबदाताओं का नाम हटाया जाता है तो उनको ऐसी क्षति होगी जिसकी मुद्रा के रूप में कभी भी भरपाई नहीं की जा सकेगी।

20. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 7 अस्वीकार है। वादीगण कोई आधार विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए दावा आधारहीन होने से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दि. खारिज किये जाने योग्य है।

21. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 8 लगायत 11 कानूनी होने से उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त उत्तर

22. यह कि अनुतोष वाद अस्वीकार है।

23. यह कि प्रतिवादिया संख्या 1 का दिनांक 21.12.2017 को देहान्त हो गया है तथा प्रतिवादी संख्या 6 का दिनांक 25.10.2017 को देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान को पत्रावली अभिलेख पर नहीं लिये गये है। इसलिए वाद वादीगण अबेट हो गया है। दावा विधि के आवश्यक प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

24. यह कि वादीगण का दावा विधि अनुसार नहीं होने से तथा काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने से पोषणीय नहीं है।

25. यह कि उक्तानुसार हल्का पटवारी से मिली भगत करके झुठी रिपोर्ट कब्जा किसी अज्ञात स्थान पर बैठकर अपने लोगों के चुपचाप उक्त विवादित मौका रिपोर्ट तैयार करवाई है। कोई भी रिपोर्ट जिसमें साक्ष्य जुटाने की मंशा झलक रही हो वह साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। इसे पत्रावली अभिलेख से हटाई जानी आवश्यक है।

26. यह कि अन्य उज्रात वरवक्त बहस निवेदन किये जायेगें।

27. अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि :– वाद वादीगण अस्वीकार कर खर्चा सहित खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

28. वादी की ओर से पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत .... खाता संख्या नया 07 राजस्व ग्राम गुजरवास (प्रदर्श–1), नकल जमाबन्दी संवत 2030–33 खाता संख्या नया 8 राजस्व ग्राम गुजरवास (प्रदर्श–2, 8, 9), नकल मिसल हैकियत संवत 1999 मौजा गूजरवास ठिकाना डूंडलोद खाता संख्या नया 92, 69 (प्रदर्श–3, 4), नकल नामान्तरकरण संख्या 219 राजस्व ग्राम गूजरवास तहसील खेतड़ी स्वीकारकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत गूजरवास पंचायत समिति बुहाना (प्रदर्श–5), मिसल बन्दोबस्त संवत .... भू प्रबन्ध विभाग खाता संख्या नया 25, 90 (प्रदर्श–6, 10), खसरा मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग नकल क्रमांक 2347 दिनांक 15.06.2016 (प्रदर्श–7, 11), नकल खसरा परिशोधन पत्रक भू प्रबन्ध विभाग संवत 2036 खसरा ... 457, 447 (प्रदर्श–12, 13), नकल नक्शा पटवारी हल्का गुजरवास दिनांक 3...19... द्वारा श्री निरंजनलाल शर्मा पटवारी (प्रदर्श–14), नकल जमाबन्दी संवत 2056–20... ग्राम गूजरवास खाता संख्या नया 141 (प्रदर्श–15), सनद प्रति तहसीलदार खेतड़ी दिनांक 22.01.1976 (प्रदर्श–16ए), सनद प्रति तहसीलदार खेतड़ी दिनांक ...5.11.1976 (प्रदर्श–17ए, 18ए), नकल नक्शा ट्रेस सन् 1936–37 ग्राम गूजरवास (प्रदर्श–19), नकल नक्शा ट्रेस सन् 1979–80 ग्राम गूजरवास (प्रदर्श–20), रिपोर्ट पटवारी गूजरवास जरिये तहसीलदार बुहाना दिनांक 04.05.2016 (प्रदर्श–21) पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में वादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:36:24 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

8 गिरधारीलाल का शपथ पत्र (पी.डब्लू–1) व स्वतंत्र गवाह विशम्भर दयाल पुत्र रामेश्वर उम्र 30 वर्ष जाति गूर्जर निवासी गुर्जरवास का शपथ पत्र (पी.डब्लू–2) पेश हुये।

29. अधिवक्ता प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी हिदायत नहीं होना पत्रावली पर अंकित किये जाने पर अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर बहस सिद्धान्त योग्य अधिवक्ता वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वाके ग्राम गुर्जरवास तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 1.85 हेक्टेयर में वादी संख्या 1 लगायत 6 को 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 7 लगायत 9 को 3/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एवं इनके हक पूर्वाधिकारी भागीरथ का नाम इस भूमि से हटाकर वादीगण का नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

30. पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सनद दिनांक 05.11.1976 (प्रदर्श–17ए, 18ए) के अवलोकन से पाया कि कस्टोडियन विभाग की भूमि गत खसरा नम्बर 25, 26, 27 स्थित मौजा जयसिंहपुरा, गूजरवास में खसरा नम्बर 25 में से खसरा नम्बर 25/10 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 में से खसरा नम्बर 26/5 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 27 में से खसरा नम्बर 27/4 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा सम्पूर्ण भूमि की तहसीलदार खेतड़ी के द्वारा दिनांक 05.11.1976 को सनद सुखाराम पुत्र चिम्माराम जाति गूर्जर निवासी जयसिंहपुरा गुजरवास के पक्ष में जारी की गई है। खसरा मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग (प्रदर्श–11) एवं खसरा परिशोधन पत्रक भू प्रबन्ध विभाग संवत 2038 (प्रदर्श–12) से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 25 मीन, 26 मीन, 27 मीन व 30 मीन से नया खसरा नम्बर 457 रकबा 1.85 हेक्टेयर निर्मित हुआ है। वादीगण के हक पूर्वाधिकारी सुखाराम पुत्र चिम्माराम को सनद दिनांक 05.11.1976 के द्वारा गत खसरा नम्बर 25, 28, 27 में से ही मीन नम्बर देकर उक्त सनद जारी की गई है। राजस्व ग्राम गूजरवास की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 187 के खसरा नम्बर 457 रकबा 1.85 हेक्टेयर की खातेदारी वादीगण के नाम हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। सनद (पट्टा) दिनांक 05.11.1976 के आधार पर वादीगण कुल 6 बीघा, हेक्टेयर प्रणाली में रकबा 1.51 हेक्टेयर भूमि प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है। चूंकि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी को गत खसरा नम्बर 25 मीन, 26 मीन, 27 मीन कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा भूमि सनद दिनांक 05.11.1976 से प्राप्त हुई है। उक्त सनद के अनुसार वर्तमान हेक्टेयर प्रणाली में 6 बीघा भूमि का रकबा 1.51 हेक्टेयर बनता है।

31. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादीगण के वाद पत्र के अभिवचनों, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं सनद दिनांक 05.11.1976 के अनुसार वादीगण का वाद पत्र सन्देह से परे साबित होता है। लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:24 IST
Reason: Self Attested

आदेश

32. अतः वाद वादीगण बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है। सनद दिनांक 05.11.1976 (प्रदर्श–17ए, 18ए) के आधार पर वाके ग्राम गुजरवास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 187 के हाल खसरा नम्बर 457 रकबा 1.85 हेक्टेयर में से रकबा 1.51 हेक्टेयर का वादी संख्या 1 लगायत 6 को 1/4 हिस्से का व वादी संख्या 7 लगायत 9 को 3/4 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना को आदेश दिया जाता है। वादीगण के पक्ष में बढे हुये रकबा 0.5850 हेक्टेयर को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के हिस्से में से समान रूप से कम किया जावे। उक्तानुसार **अंतिम** पर्चा डिक्री जारी हो।

33. निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:24 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 कलम 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

1. फूला देवी पत्नी श्री ओंकारमल **(फौत)**
2. रामेश्वर पुत्र ओंकारमल
3. सन्तलाल पुत्र ओंकारमल
4. बुद्धराम पुत्र ओंकारमल
5. लीलाधर पुत्र ओंकारमल **(फौत)**
6. बिमला पुत्री श्री ओंकारमल
7. महावीर पुत्र सुखाराम
8. गिरधारी पुत्र सुखाराम
9. सांवलराम पुत्र सुखाराम

समस्त जाति गूर्जर निवासी गूर्जरवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.....वादीगण

– ब ना म –

1. रमली देवी पत्नी श्री भागीरथ जाति गूर्जर निवासी गूर्जरवास
2. मातादीन पुत्र श्री भागीरथ जाति गूर्जर निवासी गूर्जरवास
3. रोताश पुत्र श्री भागीरथ जाति गूर्जर निवासी गूर्जरवास
4. श्रीमती केशरी देवी पुत्री श्री भागीरथ पत्नी श्री मानसिंह जाति गूर्जर निवासी डूमोली कलां पोस्ट डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. श्रीमती सन्तोष देवी पुत्री भागीरथ पत्नी श्री रामावतार जाति गूर्जर निवासी भोदन पोस्ट मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. अलुराम पुत्र कमली देवी एवं सन्तूराम **(फौत)**
   - 6/1. सुमन देवी पत्नी नरेश
   - 6/2. तमना पुत्री नरेश उम्र 6 वर्ष 6 माह
   - 6/3. अंकिता पुत्री नरेश उम्र 4 वर्ष 6 माह
   - 6/4. निकुन्द पुत्री नरेश उम्र 2 वर्ष

   समस्त जाति गूर्जर निवासी भोदन तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. छोटेलाल पुत्र कमली देवी एवं सन्तूराम जाति गूर्जर निवासी भोदन पोस्ट मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
8. तहसीलदार लैण्ड होल्डर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:24 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत :–घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

मुकदमा नम्बर :– 206 / 2015
GCMS NO. 2018/00496
निर्णय दिनांक :– 17.04.2025

वादीगण की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की व प्रतिवादीगण की ओर से कोई नहीं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.04.2025 को सुमन देवी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

" वाद वादीगण बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है। सनद दिनांक 05.11.1976 (प्रदर्श–17ए, 18ए) के आधार पर वाके ग्राम गुजरदास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 187 के हाल खसरा नम्बर 467 रकबा 1.85 हेक्टेयर में से रकबा 1.51 हेक्टेयर का वादी संख्या 1 लगायत 6 को 1/4 हिस्से का व वादी संख्या 7 लगायत 9 को 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना को आदेश दिया जाता है। वादीगण के पक्ष में बढे हुये रकबा 0.5850 हेक्टेयर को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के हिस्से में से समान रूप से कम किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 17.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:56:24 IST
Reason: SelfAttested